न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2017

अपीलांट–
करनाराम पुत्र हुकमाराम जाति
बिश्नोई निवासी गडरा तहसील
धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. किशनाराम पुत्र पांचाराम
3. भीखाराम पुत्र जोधाराम
4. सुखराम पुत्र जोधाराम
5. किशनाराम पुत्र जोधाराम
6. ठाकरा पुत्र हुकमा
जाति बिश्नोई निवासी गडरा
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम जालीखेड़ा के नामान्तरकरण सं. 175 स्वीकृति दिनांक 08.01.02 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2से6 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 16/12/2019

अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा गडरा के नामान्तरकरण सं. 175 पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गडरा के खसरा नम्बर 81, 81/2, 327, 337, 297, 325, 326 रकबा क्रमशः 34–10, 02–10, 33–02, 02–00, 102–05, 00–02, 00–04 बीघा कुल रकबा 174–13 बीघा भूमि पांचा, जोधा, ठाकरा, करना पि0 हुकमा कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कराये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/465 दिनांक 08.01.2002 की

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पालना में हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा नामान्तरकरण सं. 175 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 08.01.2002 को ही स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण्ण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.17 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि में उत्तरदाता सं. 1 के पिता मुतवफी पांचा एवं उत्तरदाता सं. 2से4 के पिता जोधाराम द्वारा षडयंत्र पूर्वक एक सहमति बंटवाड़ा लिखवाकर उस पर अपीलांट की जानकारी में लाये बिना ही अपीलांट का फर्जी अंगुठा लगाते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार गुड़ामालानी को गुमराह कर खेतों का विभाजन का आदेश प्राप्त कर लिया एवं इसी के आधारा नामान्तरकरण सं. 175 पारित करवा लिया। अपीलांट वृद्ध, ग्रामीण व अशिक्षित व्यक्ति हैं जिसे उक्त समस्त कार्यवाही का ज्ञान नहीं था वर्तमान में राजस्व लोक अदालत के केम्प आयोजित किये जा रहे हैं तब अपीलांट ने अपनी खातेदारी के खेत को अलग कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब कहा गया कि वादग्रस्त खेतों का विभाजन पूर्व में हो चुका हैं। इस पर उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 27.06.2017 को तहसील कार्यालय गुड़ामालानी में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर यह कहा गया कि उक्त विभाजन पत्र चार्ज में नहीं दिया गया, इसलिए प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती हैं। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 10.07.2017 को होने से यह अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जारी किया गया हैं तथा अपीलांट के कब्जे–काश्त की भूमि रेस्पोडेंट सं. 3से5 के स्वामित्व में दर्शा दी गई हैं तथा रेस्पोडेंट सं. 3से5 की भूमि अपीलांट के स्वामित्व में दर्ज कर दी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सहमति विभाजन को निरस्त किया जाकर अपीलांट के कब्जे एवं काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों एवं लट्ठा ट्रेस में आवश्यक तरमीम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करवाना न्यायोचित हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2002 निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त खेतों की भूमि पर अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2से6 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2से6 के वादग्रस्त खेतों का विभाजन सहमति से करवाया गया था और इसके फलस्वरूप उक्त सहमति विभाजन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 175 पारित किया गया। अपीलांट का यह कथन कि उसे विभाजन का ज्ञान नहीं था यह तथ्य गलत है बल्कि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट पढा–लिखा व्यक्ति हैं और सहमति बंटवाड़ा में उसके हस्ताक्षर किये हुए है, जिससे यह प्रथम दृष्ट्या साबित हैं कि अपीलांट की जानकारी एवं सहमति से विभाजन हुआ हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी के वादग्रस्त खेतों का विभाजन सभी की सहमति से किया गया तथा इसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 175 पारित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया हैं। राजस्व कार्मिकों की भूलवश नक्शें मे सहमति बंटवाड़ा के विपरित जाकर खसरा नम्बर व बट्टा नम्बर का अंकन कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दिया गया हैं। वास्तविकता यह हैं कि खसरा नम्बर 81 रकबा 17–05 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा–काश्त एवं खसरा नम्बर 81/3 रकबा 17–05 बीघा पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा–काश्त हैं। इस सम्बन्ध में वास्तविक कब्जा एवं राजस्व अभिलख के बाबत दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है और दोनो ही मौका रिपोर्ट एवं नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 81 की भूमि की जगह 81/3 एवं खसरा नम्बर 81/3 की जगह खसरा नम्बर 81 नक्शे में दुरूस्त करवाने हेतु पक्षकारान सहमत है की टिप्पणी सहित मौका रिपोर्ट आई हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें तथा मौके रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुरूस्ती करने का आदेश फरमाया जावें।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गडरा के खसरा नम्बर 81, 81/2, 327, 337, 297, 325, 326 रकबा क्रमशः 34–10, 02–10, 33–02, 02–00, 102–05, 00–02, 00–04 बीघा कुल रकबा 174–13 बीघा भूमि पांचा, जोधा, ठाकरा, करना पि0 हुकमा कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कराये जाने पर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/465 दिनांक 08.01.2002 की पालना में हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा नामान्तरकरण सं. 175 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 08.01.2002 को ही स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की हैं अर्थात् मूल विभाजन आदेश के विरूद्ध न होकर इसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट की इस अपील में मुख्य आधार यह हैं कि आलौच्य विभाजन के द्वारा उसके कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई हैं जबकि विभाजन पत्र की प्रमाणित प्रति जो तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार विभाजन अपीलांट द्वारा अभिकथित कब्जे–काश्त अनुसार ही हुआ था एवं इसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. 175 की पुश्त पर अंकित विभाजन नक्शा में भी अंकन सही किया गया हैं किन्तु इसका जब नक्शा लट्ठा ट्रैस में अंकन किया गया तब खसरा नम्बर 81 के स्थान पर खसरा नम्बर 81/3 एवं खसरा नम्बर 81/3 के स्थान पर 81 अंकित कर दिया हैं तथा इससे राजस्व नक्शा एवं मौका कब्जा की स्थिति में भिन्नता आ गई हैं जिसे रेस्पोडेंट्स ने भी स्वीकार किया हैं एवं पक्षकारान ने सहमति से उक्त दुरूस्ती कराये जाने का निवेदन किया हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन एवं उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. 175 मे किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल किया जाना नहीं पाया जाता हैं तथा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधार हीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं। इसके अलावा जहां तक अपीलाधीन विभाजन एवं नामान्तरकरण सं. 175 के आधार पर राजस्व नक्शा में यदि मौके कब्जे–काश्त से भिन्नता हैं तो इसके लिए पक्षकारान की सहमति होने पर उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के समक्ष दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)